



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, नवम्बर 4—नवम्बर 10, 2012, शनिवार/कार्तिक 13—कार्तिक 19, 1934  
No. 23] NEW DELHI, NOVEMBER 4—NOVEMBER 10, 2012, SATURDAY/KARTIKA 13—KARTIKA 19, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय  
(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2012

**का.नि.आ. 94.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (प्रशासनिक और भंडार पद) भर्ती नियम, 1993 और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (भंडार) पद भर्ती नियम, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में स्टोर्स पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भंडार संबंधी समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान** .—उक्त पदों के नाम, संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन और वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं** .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरहता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-I	24* (2012) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)			(8)		(9)
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		शून्य
<b>भर्ती की पद्धति :</b> भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता			प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
(10)			(11)		
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा			<b>प्रोन्नति :</b> वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. के वेतनमान में ऐसा वरिष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-2 जिसने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ।		
			<b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे		

(11)

ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (I) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या

(II) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री,

(ii) तकनीकी भंडारों की खरीद तथा मंगाने और उनके रखरखाव व लेखा रखने में छह वर्षों का अनुभव रखता हो।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है और जहाँ वह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. मुख्य नियंत्रक, रक्षा एवं अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	—अध्यक्ष
2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय अथवा निदेशक मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	—सदस्य
3. निदेशक या उप-सचिव (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय अथवा निदेशक अथवा उप वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास, रक्षा मंत्रालय)	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-II	48* (2012) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है )	<p><b>प्रोन्नति :</b> वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतनमान में ऐसा भंडार अधिकारी जिसने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>

(11)

**प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित ) :**

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अर्थ सरकारी या तकनीकी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी या

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री,

(ii) जो पास तकनीकी भंडार की खरीद या मँगाने और उनके रखरखव या लेखे का चार वर्ष का अनुभव हो ।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे) ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है), से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं ।

(12)

**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति**

(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए):—

- |   |          |
|---|----------|
| 1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य   | —अध्यक्ष |
| 2. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान, और विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन                              | —सदस्य   |
| 3. निदेशक, कार्मिक निदेशालय अथवा निदेशक मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन | —सदस्य   |

(13)

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(12)

4. निदेशक या उपसचिव (अनुसंधान एवं विकास),  
रक्षा मंत्रालय या निदेशक उप वित्तीय सलाहकार,  
एकीकृत वित्त (अनुसंधान एवं विकास विकास),  
रक्षा मंत्रालय —सदस्य

**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति**  
(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

1. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान, और विकास रक्षा  
अनुसंधान विकास संगठन —अध्यक्ष
2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक मानव  
संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान  
और विकास संगठन —सदस्य
3. निदेशक या उपसचिव (अनुसंधान एवं विकास),  
रक्षा मंत्रालय या निदेशक या उप वित्तीय सलाहकार,  
एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास),  
रक्षा मंत्रालय —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. भंडार अधिकारी	180* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. +ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

**टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
<b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। (ii) सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय या किसी प्रतिष्ठित प्राइवेट समुत्थान में तीन वर्षों का तकनीकी भंडार के मैंगाने, खरीद और उसके रख-रखव या लेखे का अनुभव हो।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(7)

**टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करके सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), कारणों को लेखबद्ध करके सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(10)

65% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) 10% प्रतिनियुक्ति के द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती के द्वारा एवं 25% सीधी भर्ती के द्वारा

(11)

**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में ऐसा ज्येष्ठ भंडार सहायक जिसने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो।

**टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित ) :**

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अर्थ सरकारी या तकनीकी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी या

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और

(ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी

(11)

प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 वह तारीख जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ में हुआ है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों के लिए विस्तारित किया गया है जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

(12)

**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति**

(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

- |   |          |
|---|----------|
| 1. मुख्य नियंत्रक, (रक्षा अनुसंधान), रक्षा अनुसंधान विकास संगठन   | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक मानव संसाधन विकास निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन                             | —सदस्य   |
| 3. अवर सचिव (रक्षा अनुसंधान और विकास रक्षा मंत्रालय या सहायक वित्त सलाहकार, एकीकृतवित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय | —सदस्य   |

(13)

प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक संविदा सहित) किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. ज्येष्ठ भंडार सहायक	* 300 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)

लागू नहीं होता

(8)

लागू नहीं होता

(9)

दो वर्ष



(10)

चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 80% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 20% (एलडीसीई)

**टिप्पण** : परन्तु यदि संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में ज्येष्ठ भंडार सहायक की श्रेणी में एक वर्ष में भरी जानेवाली रिक्तियों की कुल संख्या 8 से कम है, तो उस वर्ष इस समूह के लिए कोई सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

(11)

**प्रोन्नति** : वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान में ऐसा भंडार सहायक 'ख' जिसने नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की है।

**टिप्पण 1** : इस नियम की अधिसूचना की तारीख को भंडार सहायक 'ख' के पद को धारण करने वाले विद्यमान पदधारी की प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए पात्रता सेवा पाँच वर्ष होगी।

**टिप्पण 2** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 3** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व की गई किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

#### सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा :

सीमित प्रतियोगी परीक्षा वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में ऐसे भंडार सहायक 'ख' तक सीमित हैं जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में न्यूनतम दस वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।

(12)

( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए ) विभागीय प्रोन्नति समिति

- I. संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति —
- II. समूह में भाग लेने वाले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में से किसी एक प्रयोगशाला या स्थापन का निदेशक/प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं/स्थापनों से ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II —सदस्य
3. ऐसा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I या वैज्ञानिक 'ग' जिसका संबंध संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह की किसी संघटक स्थापना/प्रयोगशाला से न हो —सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

**MINISTRY OF DEFENCE**  
**(Department of Defence Research and Development)**

New Delhi, the 18th October, 2012

**S.R.O. 94.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Defence Research and Development Organisation (Administrative and Stores posts) Recruitment Rules, 1993 and Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence Group 'C' (Stores) posts Recruitment Rules, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Stores posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Stores Group 'A and 'B' posts, Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in the column 1 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Name of the posts, Number, Classification and pay band and grade pay/pay scale.**—The name of the posts, number, their classification and the pay band and grade pay, scale of pay attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed herewith.

**4. Method of recruitment, age limit and other qualification.**—The method of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the schedule aforesaid..

**5. Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay/ pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Stores Officer Grade-I	24* (2012) *(Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus grade pay of Rs. 6600	Selection	Not applicable
Educational and other qualification required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		Nil

<b>Method of recruitment :</b> Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made
--	--

(10)

(11)

By promotion failing which by deputation.

**Promotion :** Senior Store Officer Grade-II in the scale of Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department.

**Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to first January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

**Deputation :**

Officers under the Central or State Government or Union Territory:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB- 3 in the parent cadre or department; and
- (b) possessing following educational qualification and experience;
  - (i) degree of a recognised university.
  - (ii) possessing six year's experience in purchase or indenting technical stores and their maintenance or accounting.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

**Note:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First

January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—**

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

1. Chief Controller, Research and Development, Defence Research and Development Organisation —Chairman
2. Director, Directorate of personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation —Member
3. Director or Deputy Secretary (Research and Development) Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Senior Stores Officer Grade-II	48* (2012) *(Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus grade pay of Rs. 5400	Selection	Not applicable

(7)

(8)

(9)

Not applicable

Not applicable

Two years

(10)

(11)

By promotion failing which by deputation (Including short term contract).

**Promotion :**Store Officer in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 in PB-2 with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department.

**Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or, eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January two thousand six or the

(11)

date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

**Deputation (Including Short Term Contract):**

Officers under the Central or State Government or Union Territory or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government or Autonomous Organizations or Technical Organisation. Or

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; Or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 in PB-2 or equivalent in the parent cadre or department. and

(b) possessing following educational qualification and experience:—

(i) degree of a recognised university.

(ii) possessing four year's experience in purchase or indenting technical stores and their maintenance or accounting.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

**Note:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January two thousand six or the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—**

(13)

Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(12)

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission   | —Chairman |
| 2. Chief Controller, research and Development, Defence Research and Development Organisation   | —Member   |
| 3. Director Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation   | —Member   |
| 4. Director or Deputy Secretary (Research and Development) Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence | —Member   |

**Group 'A' Departmental promotion committee  
(for considering confirmation).**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Chief Controller, Research and Development, Defence Research and Development Organisation   | —Chairman |
| 2. Director Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation   | —Member   |
| 3. Director or Deputy Secretary (Research and Development) Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence | —Member   |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Stores Officer	180*(2012) *(Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34800 plus grade pay of Rs. 4600	Selection	Not exceeding Thirty years. (Relaxable for Government servant's upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government).

**Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
<b>Essential:</b> (i) Degree of a recognised university. (ii) Three years' experience in Government or Semi Government office or in a private concern of repute, in indenting purchases maintenance of technical Stores or accounts.	Not applicable	Two years

(7)

**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities, possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(10)

Sixty five percent by promotion failing which by deputation (Including short term contract), Ten percent by deputation (Including short-term contract) failing which by direct recruitment and twenty five percent by direct recruitment.

(11)

**Promotion :** Senior Stores Assistant in the scale of pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 in PB-2 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department.

**Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or, eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to First January Two Thousand Six or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission.

**Deputation (Including Short Term Contract):**

Officers under the Central or State Government or Union Territory or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government or Autonomous Organizations or Technical Organisation.

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; Or

(ii) with Five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 9300—34800 in pay band-2 with Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent Cadre or department.; and

(b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(11)

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications].

**Note:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January Two Thousand Six or (the date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

**Group 'B' Departmental Promotion Committee** (for considering promotion and confirmation consisting of) :—

1. Chief Controller, Research and Development, Defence Research and Development Organisation —Chairman
2. Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation —Member
3. Under Secretary (Defence Research and Development) Ministry of Defence or Assistant Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence —Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (ISTC).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Senior Store Assistant	300* (2012) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200	Selection	Not applicable
(7)	(8)		(9)		
Not applicable	Not applicable		Two years		
(10)	(11)				

**By promotion :** Eighty per cent by promotion through selection and Twenty per cent by Limited Departmental Competitive Examination (LDCE).

**Note :** Provided that if the total number of vacancies to

**Promotion :** Store Assistant 'B' in the scale of Pay of Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2400 in PB-1 with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.



(10)	(11)
<p>be filled in a year in the grade of Senior Stores Assistant in the respective Departmental Promotion II Group is less than eight, no Limited Departmental Competition Examination shall be held for the Group in that year.</p>	<p><b>Note 1:</b> The eligibility service for consideration for promotion for the existing incumbent holding the post of Store Asstt. 'B' on the date of notification of this rule shall be five years.</p> <p><b>Note 2 :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 3 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to First January, Two Thousand Six or date from which the revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Limited Departmental Competitive Examination:</b> Departmental Competitive Examination for promotion is limited to Store Assistant 'B' in the pay of Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 2400 in PB-I who have completed minimum ten years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p>
(12)	(13)
<p><b>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director or Head of one of Defence Research and Development Organisation Laboratories or Establishments participating in respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group —Chairman</li> <li>2. Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II from the participating Laboratories or Establishments in the respective decentralised Departmental Promotion Committee II Group. —Members</li> <li>3. Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory of the respective Departmental Promotion Committee-II Group. —Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>